भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

बेहतर भारत निर्माण की ओर

राष्ट्रीय मुख्यालय

पताः लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16, महात्मा गाँधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002

वेबसाइटः www.bsgindia.org इमेल आईडीः info@bsgindia.org दूरभाषः+91-11-23370126, 23378667

परिपत्र संख्या : 87/2021

दिनॉंक : 26 जुलाई, 2021

प्रति,

समस्त राज्य सचिव

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य संघ

भारतीय संघ

विषय :–राष्ट्रीय परिषद के निर्वाचन हेतु प्रतिनिधियों के नाम।

महोदय/महोदया,

हम सभी राज्य संघों एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय मुख्यालय को दिए गए उनके सहयोग के लिए आभारी हैं। हम संगठन की बेहतरी हेतु ऐसोसिएशन के नियमों में संशोधन के लिए आपके सहयोग और सहमति को स्वीकार करते हैं।

1– जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल नवम्बर 2021 में समाप्त होने जा रहा है।

2– नियम 8.1 एवं 8.2 राष्ट्रीय मुख्यालय में विभिन्न पदों पर चुनाव के लिए निर्वाचन में मतदान के लिए प्रतिनिधियों को नामित करने हेतु निम्नानुसार निर्वाचक मंडल प्रदान करता है।
''अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के कार्यालयों के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल में स्काउट एवं गाइड लाभार्थियों की जनगणना के आधार पर आवंटित संख्या के मतों का प्रतिनिधित्व करने वाले और राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा अधिकृत दो प्रतिनिधि शामिल होगें।''

3– अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य मुख्य आयुक्त की सहमति लेकर प्रतिनिधियों अर्थात एक स्काउट विंग से एवं एक गाइड विंग से का विवरण संलग्न प्रपत्र में भेजें। विवरण 31–08–2021 या उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँच जाना चाहिए। निर्दिष्ट तिथि के पश्चात, प्रतिनिधि के नाम का कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4– आपको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय परिषद चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त एक बार नामित किए गए नामों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि किसी भी प्रॉक्सी/डाक वोट की अनुमति नहीं है।

5– जिन राज्यों का अगस्त एवं सितम्बर में चुनाव होना है, उन राज्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित राज्य संघ चुनाव के संचालन को सुनिश्चित करें। इन राज्यों को चुनाव के पश्चात 7 अक्टूबर, 2021 तक प्रतिनिधियों के नाम जमा करने की अनुमति होगी। इन प्रतिनिधियों के नाम निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किये जाएंगे, लेकिन इसका चुनाव के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि अधिसूचित किया जायेगा। अतः उदारतापूर्वक यह सुझाव दिया जाता है कि या तो अगस्त में या 30 सितम्बर से पूर्व चुनाव कराए जाएं ताकि उन्हे मतदाता में शामिल किया जा सके। माँगे गये विवरण को प्रस्तुत करने में देरी के कारण चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी के किसी भी लाभ को खोने के लिए राष्ट्रीय मुख्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

6– जनगणना के आधार पर मतों की संख्या का विवरण इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं, किसी भी विसंगति के मामले में कृपया स्पष्टीकरण के लिए अधोहस्ताक्षरी को लिखें। मतों की सूची इस प्रकार हैः

नियम–8.4	प्रत्येक राज्य में स्काउट विंग के लिए न्यूनतम एक वोट और गाइड विंग के लिए एक वोट होगा।
नियम–8.5	स्काउट विंग–प्रत्येक पहले 5000 से 25000 के लिए, एक अतिरिक्त वोट देगा और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 25000 के लिए एक वोट होगा।
नियम–8.5	गाइड विंग–प्रत्येक पहले 3000 से 25000 के लिए, एक अतिरिक्त वोट डालेगा और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 25000 के लिए एक वोट होगा।
नियम–8.5	कुल मिलाकर अधिकतम 20 वोट हैं।

7– नियम संख्या 51 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:
''राज्य संघ राष्ट्रीय संघ को वार्षिक रूप से ऐसे संबद्धता शुल्क और ऐसे वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और राष्ट्रीय परिषद द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जा सकता है और वित्तीय वर्ष जिसके लिए फीस देय है की समाप्ति के बाद बारह महीने की अवधि के अन्दर या मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा बढ़ाई गई छह महीने की अवधि के अन्दर भुगतान में चूक करने पर राज्य संघ के पदाधिकारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के किसी भी चुनाव में प्रतिभाग करने, भाग लेने या वोट देने या खड़े होने के हकदार नहीं होगें जब तक की इस तरह के बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न विवरण के अनुसार अपनी बकाया राशि यदि कोई हो, तो उस राशि का भुगतान करें।

8–कृपया याद रखें कि निर्वाचक सूची के लिए प्रतिनिधियों के नामों को जमा करने की अंतिम तिथि 31–08–2021 है।

सधन्यवाद।

भवदीय,

(राज कुमार कौशिक)
निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. समस्त राष्ट्रीय मुख्यालय पदाधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय।
2. अध्यक्ष/सचिव, रेलवे स्काउट एवं गाइड बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016।
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, इंस्टीट्यूशनल एरिया, बी–15, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309।
5. समस्त जिला सचिव, दम्माम, रियाद, मस्कट एवं जमीयत यूथ क्लब।